चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्राइब ब्रान्च की पुलिस टीम ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना तथा फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय दिनाँक 29.05.2025 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश वादिया श्रीमती पूनम साहू पुत्री कमला प्रसाद साहू पत्नी रामबाबू साहू उम्र 36 वर्ष निवासी गोखिया रोड अतर्रा, थाना अतर्रा, जिला बाँदा हाल निवासी गोसाईं पुरवा पराको राजापुर थाना राजापुर की तहरीरी सूचना पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दिनांक 23.10.2023 को आग जलाकर जान से मारने की कोशिश करना,मारपीट गाली गलौज करना तथा पति द्वारा फेसबुक पोस्ट पर अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 128/25

धारा 498ए,323,326,504,506 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट बनाम 1.रामबाबू साहू पुत्र श्यामलाल साहू(पति) 2.श्यामलाल साहू पुत्र अज्ञात(ससुर) 3.मोहनलाल साहू पुत्र श्यामलाल साहू(जेठ) 4.सारिका साहू पत्नी मोहनलाल साहू(जेठानी) निवासीगण ग्राम गोखिया रोड अतर्रा,थाना अतर्रा जनपद बांदा पंजीकृत किया गया था।

दिनाँक 08.02.2026 को क्राइब ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बनाम रामबाबू साहू पुत्र श्यामलाल साहू निवासी ग्राम गोखिया रोड अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.निरीक्षक श्री अजीत कुमार पाण्डेय क्राइम ब्रान्च

2.निरीक्षक श्री राकेश मौर्य

3.मुख्य आरक्षी साकिर हुसैन

4.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

5.आरक्षी चालक बृजेश सिंह